

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०

राज्यपाल ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने हेतु सहमति प्रदान की

लखनऊ: 14 दिसम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुपूरक अनुदानों की माँगें उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत करने की सहमति प्रदान की है।

उल्लेखनीय है कि 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 203 के खण्ड (3) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार राज्य विधान सभा में वित्तीय वर्ष की अनुपूरक अनुदानों की माँगें प्रस्तुत करने हेतु राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक होती है।

अंजुम/ललित/राजभवन (469/28)